>

Title: Need to extend the time-limit for repayment of interest free agriculture loan by farmers.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किसानों को एक लाख रूपये के ऋण को ब्याज मुक्त किया हुआ है अगर इसका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर दिया जाए। यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। यह स्कीम किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है। किसान अपने खेतों पर खेती-बाड़ी करने के लिए एक लाख रूपये का ऋण लेता है और अपनी दो फसलों पर पूरे साल मेहनत करता है। अक्तूबर और नवम्बर में बोई जाने वाली फसलें जलवायु के बदलाव के कारण मार्च के बाद ही पकती हैं। प्रायः अप्रैल का पूरा महीना बीत जाने के बाद फसल पकती है और तभी किसान अपनी फसल को काट पाता है। काटने के बाद भी फसल को बाजार में बेचने के लिए कुछ समय लग जाता है जिसके कारण उपरोक्त एक लाख ऋण पर ब्याज मुक्त किसानों को नहीं मिल पाता है क्योंकि अपनी फसल को बेचकर ही किसान अपने ऋण को चुका पाने में समर्थ हो पाता है एवं किसान मार्च से पूर्व अपनी फसल के नहीं पकने के कारण काट नहीं पाते हैं। मार्च महीने के बाद उनको ब्याज देना पड़ता है।

सरकार से अनुरोध है कि सरकार उपरोक्त किसानों को एक लाख के ब्याजमुक्त ऋण को भुगतान करने की सीमा अप्रैल महीना तक बढ़ा देना चाहिए जिससे किसान अपनी फसल को अप्रैल महीना में बेचकर अपने ऋण का भुगतान कर सके।